रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2002 REGISTERED No. DL—33001/2002

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY ... INDIA

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 5, 2002 (आश्विन 13, 1924)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 5, 2002 (ASVINA 13, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग

मुम्बई-400005, दिनांक 21 सितम्बर 2002

सं. ग्रा.आ.ऋ.वि. एल.बी. स. 41/12.01.04(37)-2002/2003--भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 36ए की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होने पर कि विनायक लोकल एरिया बैंक लिमि., सीकर ने स्वीकार की गई सभी जमा राशियों को पूर्ण अथवा अधिकतम संभाव्य सीमा तक अदायगी हेतु पर्याप्त प्रावधान कर लिया है, एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि विनायक लोकल एरिया बैंक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत एक बैंकिंग कंपनी नहीं है।

पी. बी. माथुर
कार्यपालक निदेशक

बैंकिंग, परिचालन और विकास विभाग

मुम्बई-400005, दिनांक 21 सितम्बर 2002

सं. बैंपविवि. सं. आइबीएस. 612/23.13.063/2002-03--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित को हटा दिया जाए :

"ड्रेस्डनर बैंक एजी"

के. एल. खेतरपाल
कार्यपालक निदेशक

सं. बैंपविवि. सं. आइबीएस. 613/23.13.063/2002-03--बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए) की उप-धारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह अधिसूचित करता है कि ड्रेस्डनर बैंक एजी उक्त अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत अब बैंकिंग कंपनी नहीं है।

के. एल. खेतरपाल
कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

सहयोगी एवं अनुषंगी समूह

मुम्बई, दिनांक 16 सितम्बर 2002

सं. एसबीपी सं. 10/2002--भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 41 की उप-धारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से स्टेट बैंक ने निम्नलिखित बैंकों के लिए उनके नाम के आगे लिखी लेखा परीक्षा फर्मों को लेखा परीक्षक नियुक्त किया है :

बैंक का नाम	लेखा परीक्षक का नाम
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	मेसर्स के.जी सोमानी एण्ड कं., 3/15, आसफ अली रोड, दिल्ली ऑटोमोबाइल बिल्डिंग, चौथी मंजिल, नई दिल्ली - 110 002.
	मेसर्स बी. खोसला एण्ड कं., 104-107 अनुकंपा II, पहली मंजिल, एम.आइ. रोड, जयपुर - 302 001.
	मेसर्स एच.एस. रुस्तगी एण्ड कं., 4654/21, दरिया गंज, नई दिल्ली - 110 002.
	मेसर्स एस.एल. छाजेड़ एण्ड कं., आर-12, महाराणा प्रताप नगर, अंचल प्रथम, भोपाल - 462 011.
	मेसर्स डागलिया एण्ड कं., नं. 5 तथा 6 एल ब्लॉक, युनिटी बिल्डिंग्स, जे.सी. रोड, बैंगलौर - 560 002.
	मेसर्स अग्रवाल एण्ड सक्सेना, 510-511 सिटी सेन्टर, 63/2, द माल, कानपुर - 208 004.

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	मेसर्स तोदी तुलसियान एण्ड कं., 602, लव कुश टावर्स, एक्सीबिशन रोड़, पटना - 800 001.
	मेसर्स एल.यु. कृष्णन एण्ड कं., सैण्ड्स मार्थेनिस टावर, नं. 3-1, वेस्ट क्लब रोड़, शेनॉय नगर, चेन्नई - 600 010.
	मेसर्स राव एण्ड नारायण, श्रीनिवास अपार्टमेंट, सोमाजीगुड़ा, फ्लेट नं. 6, राजभवन रोड़, हैदराबाद - 500 482.
	मेसर्स बी.एल. अजमेरा एण्ड कं., मालजी छोगालाल ट्रस्ट बिल्डिंग, मिर्ज़ा इस्माइल रोड़, जयपुर.
	मेसर्स हिंगोरानी एम. एण्ड कं., 35, नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली - 110 002.
	मेसर्स मित्तल गुप्ता एण्ड कं., 302, पिरोल्स हाऊस, 16, स्टेशन रोड़, लखनऊ - 226 001.

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	मेसर्स के.के. घेई एण्ड कं., 806, हेमकुन्ट हाऊस, 6, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली - 110 008
	मेसर्स वी.के. जिंदल एण्ड कं., 3 जी, श्री गोपाल काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, कोर्ट रोड, रांची - 834 001.
	मेसर्स भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स, 4648-सिद्धमल बिल्डिंग, 21, अन्सारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली - 110 002.
	मेसर्स पी.सी. मोदी एण्ड कं., आर 20, श्रीधाम, युधिष्ठर मार्ग, सी स्कीम, जयपुर - 302 005, राजस्थान.
	मेसर्स उबेराय सूद एण्ड कपूर, 606, विशाल भवन, 95, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110 019.

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर

मेसर्स अश्वनी एण्ड एसोसिएट्स,
19-ए, उधम सिंह नगर,
सिविल लाइन्स,
लुधियाना - 141 001.

मेसर्स ए.एस. गुप्ता एण्ड कं.,
10 ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट,
रूम नं. 24 तथा 25,
कोलकाता 700 001.

मेसर्स आगीवाल एण्ड एसोसिएट्स,
लाल कोठी,
3830 - पतौड़ी हाऊस,
दरिया गंज,
नई दिल्ली - 110 002.

मेसर्स एसवीयार,
1/8 पीनस कालोनी,
सेकंड स्ट्रीट, अल्वारपेट,
चेन्नई - 600 018.

मेसर्स अंगानेयुलु एण्ड कं.,
30 भाग्यलक्ष्मी नगर,
कल्पना टाकिज़ के पीछे,
गांधी नगर,
हैदराबाद - 500 380.

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

मेसर्स महेन्द्र के. अगरवाल एण्ड कं.,
ब्लाक बी - मोनालिका अपार्टमेंट,
तल मंजिल, ओल्ड स्टेशन स्क्वेअर,
भुवनेश्वर - 751 006.

मेसर्स गणेशन एण्ड कं.,
नटराजा निलायम,
227, कचेरी रोड़, मैलापुर,
चेन्नई - 600 004

मेसर्स जी.एम. गोयल एण्ड कं.,
20/18, शक्ति नगर,
नई दिल्ली - 110 007.

मेसर्स आर.एम. लाल एण्ड कं.,
- आलमबाग मार्ग,
लाल बाग, लखनऊ - 226 001

मेसर्स जी.डी. आपटे एण्ड कं.,
1204/17 ई शिवाजी नगर, बाबूसाहेब
ड्रीम प्रेसिडेन्सी, आफ आपटे रोड़,
पुणे 411 004.

मेसर्स एस. प्रशाद एण्ड कं.,
1-2, बरार हाऊस, बारा टूटी,
सदर बाजार,
नई दिल्ली - 110 006.

स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र

मेसर्स एम.के. अग्गरवाल एण्ड कं.,
4598/12 बी. अन्सारी रोड़,
दरिया गंज,
नई दिल्ली - 110 002.

मेसर्स कुमार चोपड़ा एण्ड एसोसिएट्स,
बी-12, तल मंजिल,
कालिंदी कालोनी,
महारानी बाग के पास,
नई दिल्ली - 110 065.

मेसर्स कर्नावत एण्ड कं.,
2ए, किताब महल, पहली मंजिल,
192, डा. डी.एन. रोड़,
मुंबई - 400 001.

मेसर्स बी.के श्रॉफ एण्ड कं.,
23 ए, नेताजी सुभाष रोड़,
तीसरी मंजिल, रूम नं. 15,
कोलकाता - 700 001.

मेसर्स एस सी जे एसोसिएट्स,
1/129 एफ, प्रोफेसर्स कालोनी,
हरिपर्वत,
आगरा - 282 002 (यू.पी.)

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

मेसर्स जी.के. राव एण्ड कं.,
5-3-340, राष्ट्रपति रोड,
हैदराबाद - 500 003.

मेसर्स पी.जी. जोशी एण्ड कं.,
धनवटे चेम्बर्स,
मालवीया रोड, सीताबर्डी,
नागपुर - 440 012.

मेसर्स अनन्तन एण्ड सुन्दरम,
सिवकर्त, 123, शंकर नगर,
काई मनाम पोस्ट, निरंकारा,
तिरुवनन्तपुरम - 695 040
केरला.

मेसर्स अय्यर एण्ड चेरियन,
तीसरी मंजिल, कृष्णकृपा
ज्युज़ स्ट्रीट, पुलेप्पडी जंक्शन,
अर्नाकुलम,
कोचिन - 682 035.

मेसर्स ऐंड एण्ड एसोसिएट्स,
मर्केन्टाईल बिल्डिंग, तीसरी मंजिल,
ब्लाक ए, 9, लाल बाज़ार स्ट्रीट,
कोलकाता - 700 001,
पश्चिम बंगाल.

मेसर्स वर्मा एण्ड वर्मा,
श्रीनिकेतन, नेट्टेपदम रोड,
पो.बा. नं. 2350,
कोचिन - 682 016.

2. इन लेखा परीक्षकों को 31 मार्च 2003 को समाप्त होनेवाली लेखावधि के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन ये फर्में 4 वर्ष की लगातार अवधि (अब तक की सेवा अवधि शामिल करते हुए) के लिए जारी रहने की पात्र होंगी, बशर्ते कि वे निर्धारित मानदण्डों एवं अन्य सामान्य अपेक्षाओं का अनुपालन करें ।

उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(सहयोगी एवं अनुषंगी समूह)

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली, तारीख 24 सितम्बर, 2002

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

स. 1सीए (7) / 64/2002. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् बनाने के लिए प्रस्तावित करती है, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949(1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) द्वारा यथाअपेक्षित, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिससे राजपत्र की प्रतियां, जिसमें प्रारूप विनियम प्रकाशित हुआ है, जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई है, पैतालिस दिनों की कालावधि के समाप्त होने के पश्चात् विचार किया जायेगा

उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति उसे परिषद् के विचारार्थ इस प्रकार ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर सचिव, दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002 को भेज सकेगा,

उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार उल्लिखित कालावधि के समाप्त होने के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर परिषद् द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

प्रारूप विनियम

1 (1) इन विनियमों को चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स (सशोधन) विनियम, 2002 कहा जायेगा,

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2 चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 में,

(1) विनियम 204 मे, ''अनुसूची 'ग', 'घ' 'ङ' और 'च' '' शब्दो और अक्षरो के स्थान पर 'अनुसूची 'ग', 'घ', 'ङ', 'च', छ'और 'ज' '' शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

''अनुसूची छ:

(बीमा और जोखिम प्रबध में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम)

1. **बीमा और जोखिम प्रबंध मे डिप्लोमा के लिए पाठ्यक्रम (डीआईआरएम)**

(1) बीमा और जोखिम प्रबध पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण स्कीम, तकनीकी परीक्षा और सात दिन या उस अवधि का अभिसस्करण पाठ्यक्रम जो समय-समय पर बीमा समिति विनिश्चित करे, सम्मिलित होंगे।

(2) उक्त पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को अनुमोदित फार्म में एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा और वह अपने नाम के पश्चात् डीआईआरम (आईसीएआई) अक्षर उपयोग करने का हकदार होगा।

2. **प्रशासन**

विनियम 176 के अध्यधीन बीमा और जोखिम प्रबध पाठ्यक्रम का प्रबंध, इस प्रयोजन के लिए परिषद द्वारा गठित बीमा समिति (जिसे इसके पश्चात् समिति कहा गया है) के भारसाधन के अधीन होगा जिसके कृत्यो में पाठ्यक्रम के लिए ... इसके सम्बन्ध में ... सभी क्रियाकलाप, प्रशिक्षण स्कीम, अभिसस्करण पाठ्यक्रम मोड्यूल (भागक) का परिवर्तन/उपांतरण /पुनर्गठन/संशोधन और ... अन्य सबध मामले सम्मिलित होंगे।

3. **बीमा और जोखिम प्रबंध में प्रवेश**

(1) किसी भी अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक कि वह रजिस्ट्रीकरण के समय संस्थान का सदस्य न हो।

(2) बीमा और जोखिम प्रबंध पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी अनुमोदित फार्म में आवेदन करेगा और उतनी फीस का संदाय करेगा जो समय समय पर परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए।

4 **तकनीकी परीक्षा में प्रवेश**

(1) किसी भी अभ्यर्थी को तकनीकी परीक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक कि वह नौ मास की अवधि के लिए या इतने समय के लिए जिसका समिति द्वारा समय समय पर विनिश्चित किया जाए, रजिस्ट्रीकृत न हो और इस प्रयोजन के लिए समिति द्वारा अभिहित अधिकारी से इस प्रभाव का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसने इस निमित्त समिति द्वारा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण स्कीमों की अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया है।

(2) तकनीकी परीक्षा मे प्रवेश के लिए आवेदन अनुमोदित फार्म में इसमें विनिर्दिष्ट रीति में परिषद् द्वारा विनिश्चित फीस के साथ सचिव को भेजा जाएगा।

5. **तकनीकी परीक्षा के लिए पेपर और पाठ्यक्रम**

(1) डीआईआरएम पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी की परीक्षा 3-3 घंटे वाले 4 पेपरों में होंगी जिनमें निम्नलिखित पाठ्यक्रम विषय वस्तु के साथ 4 मोड्यूल होंगे:-

1. मोड्यूल - 1 बीमा के सिद्धांत और पद्धति **100 अंक**

(क) जोखिम और बीमा का परिचय, साधारण और जीवन बीमा के मूल सिद्धांत, बीमा संविदाएं, बीमा संगठनों का प्रबंध।

(ख) बीमा के प्रकार :

(i) साधारण - वैयक्तिक लाइन और वाणिज्यिक लाइन

(ii) जीवन - व्यष्टिक, समूह, वार्षिकी, पेंशन और उपदान

(ग) विनिधान, अंशधारक निधि की बाबत बीमा निधि और पालिसी धारक निधि पर विनियम

(घ) बीमा लेखाकन और प्रबध को शासित करने वाली विधिया

(ड) आस्ति और दायित्व प्रबंध, शोधन क्षमता मार्जिन का अवधारण, बीमा वित्त के सिद्धांत (संविभाग-वार, प्रतिधारण स्तर नियत करना, आईबीएनआर, आईबीएनईआर, रिजर्व स्ट्रेन पर पर्याप्तता), बीमा उत्पादों की लागत और कीमतीकरण।

(च) उभरते परिदृश्य में विश्लेषणात्मक मामला अध्ययन

2. मोड्यूल -2 बीमा के तकनीकी पहलू **अंक 100**

(क) साधारण बीमा उत्पादों के विशिष्ट क्षेत्र, हामीदारी संकल्पना निम्न की बाबत मानक शर्तें और वारंटी

(i) अग्नि खतरे, खंड, विशेष किस्में, छूट, पारिणामिक हानि

(ii) समुद्री -पेटा की किस्में, पेटा नीति के खंड, कारगो नीति की किस्में, विक्रय संविदा की किस्में ओर प्रतिफल

(iii) मोटर - सुरक्षा राशि की व्याप्ति वाहनों को किस्में, स्वयं का नुकसान और अन्य पक्षकार दावे

(iv) इंजीनियरिंग - निबंधन और शर्तों के साथ सुरक्षा राशि की किस्में

(v) प्रकीर्ण - व्यष्टिक और सामूहिक, वैयक्तिक और वाणिज्यिक लाइन्स, कारोबार सुरक्षा पालिसियां और वैयक्ति दायित्व बीमा - निदेशक और वृनिक

(ख) जीवन बीमा उत्पाद, प्रीमियम प्लान, सामाजिक सुरक्षा स्कीमें, पेंशन पालिसियां, सामूहिक बीमा पालिसियां और अधिवार्षिता पालिसियों की वित्तीय जीरोंटोलॉजी

(ग) बीमांकिक मूल्याकन के सिद्धात - जन सांख्यिकी, कंपनी के जोखिम प्रोफाइल की माप, ब्याज और जीवन आकस्मिकताएं, जीवन कार्य

मूल्यांकन और अधिशेष वितरण के तरीके

(घ) उभरते परिदृश्य में विश्लेषणात्मक मामला अध्ययन

3. मोड्यूल -3 जोखिम प्रबंध और पुनर्बीमा **100 अंक**

(क) बीमा का अर्थशास्त्र

(ख) विकास चक्र और जोखिम प्रबंध पहलू - पहचान, मूल्यांकन, प्रतिधारण और अंतरण, जोखिम वित्तपोषण

(ग) हानि निवारण की भूमिका / न्यूनीकरण तकनीक, वैकल्पिक जोखिम अंतरण उपाय

(घ) पुनर्बीमा - विधिक सिद्धांत, पुनर्बीमा के तरीके (पारंपरिक और अपारंपरिक) प्रसंविदा शैली, डिजाइनिंग पुनर्बीमा कार्यक्रम पुनर्बीमा बाजार और वित्तीय पहलू

(ङ) उभरते परिदृश्य में विश्लेषणात्मक मामला अध्ययन

4. मोड्यूल -4 कारोबारी युक्तिबद्ध योजना और सूचना प्रौद्योगिकी **100 अंक**

(क) बीमा कंपनियों का प्रबंध, सार्वभौमिकता की चुनौतियां और कारोबार प्रक्रिया की पुन:संरचना

(ख) आउटसोर्सिंग का वर्गीकरण

(ग) विनियम नियंत्रण विनियम और कराधान

(घ) बीमा कारोबार में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोजन, पद्धति नियंत्रण, डाटा वेयरहाउसिंग, बीमा कंपनियो के लिए ईआरपी का उपयोजन, ग्राहक संबंध प्रबंध और प्रदाय श्रंखला प्रबंध

(ङ) सूचना पद्धति के डिजाइन

(च) उत्पाद विनिर्मिति में कारोबारी यूक्तियां, सूचना विपणन और सलाहकारिता, वितरण, पुनर्बीमा और सर्विसिंग

(छ) उभरते परिदृश्य में विश्लेषणात्मक मामला अध्ययन

(2) प्रत्येक मोड्यूल के सामने दिखाए गए अंक उस पेपर के अंकों को विनिर्दिष्ट करते हैं जो अपने अपने मोड्यूल के लिए पूछे जाएगे।

6. <u>तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षाएं</u>

तकनीकी परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी सामान्यत: उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह प्रत्येक पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक और कुल योग में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है।

7. <u>तकनीकी परीक्षा का संचालन</u>

तकनीकी परीक्षा ऐसे अंतरालों पर, ऐसी रीति में और ऐसे समय तथा स्थानों पर सचालित की जा सकेगी जो दि इस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इंडिया की परीक्षा समिति समय-समय पर विनिश्चित करे और उसके ब्यौरे भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किए जायेगे।

8. <u>तकनीकी परीक्षा फीस का प्रतिदाय</u>

(1) तकनीकी परीक्षा में प्रविष्ट किसी अभ्यर्थी द्वारा संदत्त फीस उप पैरा (2) में अन्यथा उपबधित के सिवाय वापस नहीं की जाएगी।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी फीस का अन्तरण अगली तकनीकी परीक्षा के लिए करने का आवेदन इस आधार पर परीक्षा समिति को करता है कि वह उसके नियंत्रण के परे की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप तकनीकी परीक्षा में बैठने से निवारित रहा था तो परीक्षा समिति ऐसे अभ्यर्थी द्वारा सदत्त फीस को केवल अगली आने वाली तकनीकी परीक्षा के लिए संदेय फीस के तौर पर समायोजित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

परन्तु तकनीकी परीक्षा की तारीख से पंद्रह दिन के अवसान के पश्चात प्राप्त ऐसे किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. <u>परिणामों की घोषणा</u>

(1) तकनीकी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा और ऐसे परिणाम की एक प्रति, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की सूची होगी, सस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी।

(2) तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण करने और समिति द्वारा विहित अभिसंस्करण पाठ्यक्रम करने वाले अभ्यर्थी को अनुमोदित फार्म में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(3) सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा तकनीकी परीक्षा में प्राप्त अंकों की सूचना दी जाएगी।

(4)(क) क्या तकनीकि परीक्षा के पेपर या पेपरों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए उत्तरों की जांच कर ली गई है और उस पर दिए गए अको मे संबंधित जानकारी अभ्यर्थी द्वारा तकनीकी परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर परिषद् द्वारा नियत फीस

के साथ दिए गए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसे उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) फीस केवल यह सत्यापित करने के लिए होगी कि क्या अभ्यर्थी के उत्तरों की जाच कर ली गई है और अंक दिए गए है न कि उत्तरों का पुनः मूल्यांकन करने के लिए।

(ग) अभ्यर्थी द्वारा अलग अलग प्रश्नों में या माड्यूल के खण्ड में प्राप्त अंकों की जानकारी उसे नहीं दी जाएगी।

(घ) यदि सत्यापन के पश्चात् यह पाया जाता है कि किसी उत्तर या उत्तरों को जाच में अंक प्रदान करने में कोई लोप हुआ है या अंकों का योग करने में कोई त्रुटि हुई है तो सत्यापन के लिए दी गई पूरी फीस अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी और उस सत्यापन के परिणाम से अभ्यर्थी को ससूचित या प्रदत्त किया जाएगा।

10 अनुचित साधन अपनाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई

यदि परीक्षा समिति को यह रिपोर्ट किया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अनुचित साधन अपनाए है या अपनाने का प्रयास किया है तो परीक्षा समिति इसकी जांच करेगी और इसकी रिपोर्ट परिषद् को प्रस्तुत करेगी जो ऐसे और अन्वेषण के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अभ्यर्थी के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्यवाई करेगी, जो वह ठीक समझे,

बशर्ते कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित किए जाने के पूर्व उसे सुने जाने का अवसर दिया जायेगा।

11. परीक्षक

परीक्षा समिति प्रश्न पत्र बनाने और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षकों की नियुक्ति सहित ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो वह समुचित समझें।

12. परिणामों का सशोधन

ऐसे मामले में जहा यह पाया जाए कि तकनीकी परीक्षा का परिणाम किसी गलती, अनाचार, कपट अनुपयुक्त आचरण या किसी भी प्रकृति के अन्य मामले के कारण प्रभावित हुआ है तो परिषद् को परिणाम ऐसी रीति में सशोधित करने का जो सही स्थिति के अनुरूप हो और ऐसा करने का अधिकार होगा जो परिषद् इस निमित्त करना आवश्यक समझें।

13 सलाहकार बोर्ड

(1) समिति एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त कर सकेगी जिसमें 11 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और जो समिति को पाठ्यविवरण, तकनीकी परीक्षा प्रशिक्षण स्कीम अभिसस्करण पाठ्यक्रम अनुसधान या पाठ्यक्रम से सबधित ऐसे मामलों पर सलाह दे सकेगा जो उसे निर्दिष्ट किए जाए।

(2) सलाहकार बोर्ड के सदस्य समय-समय पर परिषद द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते के पात्र होंगे।

अनुसूची 'ज'

(अतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम)

1 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में डिप्लोमा के लिए पाठ्यक्रम

(1) उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य अभ्यर्थियो को निम्नलिखित क्षेत्रों में पूर्ण जानकारी प्रदान करना और सदस्यों को अतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि एवं विश्व व्यापार सगठन से सबधित सेवाओं के क्षेत्र में समर्पित पद्धति विकसित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञताप्राप्त कौशल मे लेस करना है -

- देशी व्यापार विधिया
- पाटन विरोधी
- सहायकी विरोधी
- प्रतियोगिता विधिया
- ट्रिप्स और ट्रिम्स
- जीएटीटी करार
- जीएटीएस करार

1. इस व्यापार विधि और डब्ल्यू टी ओ पाठ्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- भाग 1 सैद्धान्तिक ज्ञान परीक्षा सहित
- भाग 2 व्यावहारिक प्रशिक्षण और शोधनिबंध की प्रस्तुति

पाठ्यक्रम के लिए पात्र को पाठ्यक्रम के भाग 2 में रजिस्टर कराने के पूर्व भाग 1 पूरा करना होगा।

पाठ्यक्रम में अर्हित पाए जाने वालों को अनुमोदित फार्म मे एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा और अपने नाम के पश्चात "डीआईटीएल (आईसीएआई)" अक्षर उपयोग करने के हकदार होंगे।

भाग - 1 सैद्धान्तिक ज्ञान परीक्षा सहित

2. <u>प्रशासन और परीक्षा मे प्रवेश</u>

इन विनियमों के विनियम 176 में किसी बात के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ पाठ्यक्रम का पारसाधन इस प्रयोजन के लिएं परिषद् द्वारा नियुक्त व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ समिति (जिसे इस अनुसूची मे "समिति" कहा गया है) के अधीन होगा। इस संबंध में समिति के कृत्यों में अन्य बातों के साथ-साथ परीक्षा लेना, उसमें प्रवेश, परीक्षकों की नियुक्ति और चयन, अभ्यर्थियों के मार्ग दर्शन के लिए पुस्तकें विहित करना, परिणामों की घोषणा और अन्य संबंध मामले सम्मिलित हैं।

किसी भी अभ्यर्थी के व्यापार विधि और डब्ल्यू टी ओ पाठ्यक्रम के भाग 1 की परीक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक कि वह परीक्षा में बैठते समय सदस्य न हो।

3. <u>रजिस्ट्रीकरण और ट्यूशन फीस</u>

पाठ्यक्रम के भाग 1 की रजिस्ट्रीकरण और ट्यूशन फीस 20,000/- रुपये होगी, जिसके अंतर्गत अध्ययन सामग्री की लागत है। समिति अध्ययन सामग्री की समुचित सूची उपलब्ध कराएगी और अध्ययन सामग्री अभ्यर्थियों को देगी।

4. <u>परीक्षाओं का संचालन</u>

(1) परीक्षा ऐसे अंतरालों पर, ऐसी रीति में और ऐसे समय तथा स्थानों पर संचालित होगी जैसा कि परिषद् निर्देश दें।

(2) परीक्षा की तारीखें, स्थान और अन्य विशिष्टया राजपत्र में अधिसूचित की जाएंगी।

(3) अभ्यर्थी परीक्षा में प्रवेश के लिए ऐसी फीस का संदाय करेगा जो प्रत्येक समूह के लिए एक हजार रुपये से अधिक न हो और ऐसी राशि का संदाय करेगा जो समय समय पर परिषद् द्वारा नियत की जाए। अभ्यर्थी अपने विवेकानुसार समूह क या समूह ख या दोनों की परीक्षाएं दे सकते है।

(4) व्यापार विधि और डब्ल्यू टी ओ भाग 1 परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को सामान्यता परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा यदि वह एक साथ दोनों समूहों में या एक परीक्षा मे एक समूह में और शेष समूह में किसी पश्चात् वर्ती परीक्षा में एक ही बार में समूह के प्रत्येक पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और उस समूह के सब पेपरों में कुल कम से कम 50 प्रतिशत अक प्राप्त करता है।

5. <u>परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र</u>

परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र अनुमोदित फार्म में जिसकी एक प्रति समिति के सचिव से प्राप्त की जा सकती है, निहित फीस के साथ परिषद् द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार उसे भेजा जाएगा।

6. <u>परीक्षा फीस का प्रतिदाय</u>

(1) परीक्षा में प्रविष्ट किसी अभ्यर्थी द्वारा संदत्त फीस उप पैरा (2) में अन्यथा उपबंधित के सिवाए वापस नहीं की जाएगी।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी फीस का अंतरण अगली परीक्षा के लिए करने का आवेदन इस आधार पर परिषद् को करता है कि वह इसके नियंत्रण के परे की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप परीक्षा में बैठने से निवादित रहा था तो परिषद् ऐसे अभ्यर्थी द्वारा संदत्त फीस को केवल अगली आने वाली परीक्षा के लिए संदेय फीस के तौर पर समायोजित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

परन्तु परीक्षा की अंतिम तारीख से पन्द्रह दिन के अवसान के पश्चात प्राप्त ऐसे किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. <u>अनुचित साधन अपनाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही</u>

यदि समिति को यह रिपोर्ट किया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रयोजन के लिए अनुचित साधन अपनाए है या अपनाने का प्रयास किया है तो समिति इसकी जांच करेगी और इसकी रिर्पोट परिषद् को प्रस्तुत करेगी, जो ऐसे और अन्वेषण के पश्चात, जो वह

आवश्यक समझे, अभ्यर्थी के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही करेगी, जो वह ठीक समझे;

बशर्ते कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित करने के पूर्व उसे सुने जाने का अवसर दिया जायेगा।

8. परीक्षक

समिति, प्रश्नपत्र बनाने और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षकों की नियुक्ति सहित ऐसी व्यवस्था कर सकेगी, जो वह समुचित समझे।

9. परिणाम का संशोधन

ऐसे मामले में जहां यह पाया जाए कि परीक्षा का परिणाम गलती, अनाचार, कपट, अनुपयुक्त आचरण या किसी भी प्रकृति के अन्य मामलों के कारण प्रभावित हुआ है तो ऊपर उल्लिखित समिति को परिणाम ऐसी रीति में संशोधित करने की जो सही स्थिति के अनुरूप हो और ऐसी घोषणा करने का अधिकार होगा जो समिति इस निमित्त करना आवश्यक समझें।

10. पाठ्यक्रम भाग 1 वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रमों (पीसीपी) द्वारा समर्थित होगा। पीसीपी देश के ऐसे केन्द्रों पर ऐसे समय और स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं। ये पीसीपी न्यूनतम 30 दिनों के लिए होंगे जिनके लिए यथा विनिर्दिष्ट फीस अलग से ली जाएगी।

वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम में पाठ्यक्रम के भाग 1 में अंतर्विष्ट सभी पेपरों की विषय -वस्तु सम्मिलित होगी। वयैक्तिक सपर्क कार्यक्रम में उपस्थिति अभिलेख (80 प्रतिशत का न्यूनतम उपस्थिति अभिलेख) परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करते समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. प्रमाण प्रदत्त किया जाना:

पाठ्यक्रम का भाग 1 पूरा करने वाले अभ्यर्थी को समुचित फार्म में एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

12. पेपरों और पाठ्यक्रम अन्तर्वस्तु के ब्यौरे

अभ्यर्थी को भाग 1 के लिए निम्नलिखित पेपरों की परीक्षा देनी होगी:-

समूह क

पेपर 1 : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रस्तावना

पेपर 2 : जीएटीटी, उत्पत्ति के नियम और व्यापार संबंधी करार

पेपर 3 : जीएटीएस, ट्रिप्स और ट्रिम्स, एसपीएस तथा डब्ल्यू टीओ में विवाद समाधान और पुनर्विलोकन प्रक्रिया।

समूह ख

पेपर 4 : देशी व्यापार कानून

पेपर 5 : पाटन विरोधी, सहायकी विरोधी और रक्षोपाय विधियां और पद्धति

पेपर 6 : प्रतियोगिता विधियां और नीतियां

विस्तृत पाठ्यक्रम अंतर्वस्तु

समूह क

पेपर 1 अंतर्राष्ट्रीय व्यापर की प्रस्तावना **100 अंक**

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मूल सिद्धांत
2. जीएटीटी, 1947
3. जीएटीटी, 1994 (मराकेश करार)

4. विश्व व्यापार संगठन स्थापित करने वाला करार

5. डब्ल्यूटीओ की रचना और कार्यक्रम

6. अधिकतम समर्थित राष्ट्र व्यवहार (एमएफएनटी)

7. विशेष एवं विभेदी व्यवहार

8. टैरिफ और गैर टैरिफ अवरोधक

पेपर 2: जीएटीटी, उत्पत्ति के नियम और व्यापार संबंधी करार 100 अंक

पाठ्यविवरण

1. उत्पत्ति के नियमों पर करार

2. लदाई पूर्व निरीक्षण पर करार

3. आयात अनुज्ञापन प्रक्रिया पर करार

4. टैक्सटाइल और वस्त्र पर करार

5. कृषि पर करार

6. जीएटीटी 1994 की मद 6 के क्रियान्वयन पर करार

7. ऐसे मामलों की बाबत जहां सीमा शुल्क प्रशासन के पास घोषित मूल्य की सत्यता या सही होने पर संदेह है, विनिश्चय।

8. व्यापार के तकनीकी अवरोधों पर करार

9. सुसंगत बोध

10 क्षेत्रीय व्यापार करार

11. बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के नए मुद्दे और गैर व्यापारी मुद्दे

पेपर 3 जीएटीएस, ट्रिप्स और ट्रिम्स, एसपीएस तथा डब्ल्यूटीओ में विवाद समाधान और पुनर्विलोकन प्रक्रिया 100 अंक

पाठ्यक्रम :

1. सेवाओं में व्यापार पर साधारण करार।
   (i) वित्तीय सेवाओं में विनिश्चय
   (ii) प्राकृतिक व्यक्तियों के संचलन पर बातचीत का विनिश्चय
   (iii) व्यवसायिक सेवाओं पर विनिश्चय
2. बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर करार
3. स्वच्छता और फाइटो स्वच्छता उपाय लागू करने पर करार
4. डब्ल्यू टीओ के अधीन विवाद समाधान तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य माध्यमस्थम्
5. डब्ल्यू टीओ की पुनर्विलोकन प्रक्रियाएं - करार, अनुसचिवीय बैठकें, मूल्यांकन, प्रक्रिया और उभरते परिदृश्य

समूह ख

पेपर 4 देशी व्यापार विधियां 100 अंक

पाठ्यविवरण

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
2. प्रतिलिपिधिकार अधिनियम, 1957
3. आर्थिक अपराध अधिनियम, 1974
4. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

5 आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध अधिनियम, 1981

7 पेटेंट अधिनियम, 2000

8 विक्रय संवर्धन अधिनियम, 1976

9 व्यापार और पण्यवस्तु अधिनियम, 1958

10 निर्यात आयात नीति और प्रक्रिया।

पेपर 5 'पाटन विरोधी' सहायकी विरोधी और रक्षोपाय विधियां और पद्धति **अंक 100**

पाठ्यविवरण:

1 पाटन विरोधी, सहायकी और प्रतिरोधी उपायों पर करार

2 पाटन विरोधी उपायों का उपयोजन

3. पाटन विरोधी - कानून और पद्धति

(i) मुख्य उपबंध

(ii) पाटन अवधारण

(iii) कीमत तुलना

(iv) निर्मित कीमत

(v) देशी उद्योग क्षति

(vi) आयात का आयतन

(vii) अन्वेषण की प्रक्रिया

(viii) उपायों की अवधि

(ix) परिवेषन कार्यवाही

4 सहायकी विरोधी - विधि और पद्धति

(i) एससीएम की रचना

(ii) सहायकी की परिभाषा

(iii) लाल, अम्बर और हरी सहायकी

(iv) गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव

(v) सहायकी के प्रभाव का निर्वापन - प्रतिरोधी शुल्क

5. रक्षोपाय

(i) संरक्षण अध्युपाय

(ii) प्रतिकर और प्रतिकार

6. पाटन विरोधी सहायकी विरोधी और प्रतिरोधी अध्युपायों पर निर्णय विधियां जिसमें भारत सरकार के अभिहित प्राधिकारियों, यूरोपियन आयोग और डब्ल्यू टीओ विवाद समाधान तंत्र की रिपोर्ट सम्मिलित हैं।

पेपर 6 प्रतियोगिता विधियां और नीतियां **100 अंक**

पाठ्यविवरण

1. भारत में उभरते हुई प्रतियोगिता विधिया

2 यूरोपियन संघ प्रतियोगिता विधि और नीतियां

3. यूनाईटेड स्टेट्स, एनएएफटीए देशों में प्रतियोगिता विधि और नीतियां।

4 संक्रमण आर्थिकी में प्रतियोगिता विधि और नीतियां

5 डब्ल्यूटीओ नियक और प्रतियोगिता नीति।

13. पाठ्यविवरण क अद्यतन / पुनरीक्षण

व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ समिति समय समय पर पाठ्य विववरण का अद्यतन / पुनरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत होगी और इसकी सूचना पाठ्यक्रम में नामांकित अभ्यर्थियों को दी जाएगी।

भाग 2 व्यवहारिक प्रशिक्षण और शोध निबंध का प्रस्तुत किया जाना

14. व्यवहारिक प्रशिक्षण

(1) कोई भी अभ्यर्थी पाठ्यक्रम की भाग 1 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात, अनुमोदित फार्म में आवेदन पत्र ऐसी फीस के साथ जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए और जो कि बाद में वापस नहीं की जाऐगी, प्रस्तुत करके भाग 2 के लिये स्वयं को पंजीकृत करा सकता है।

(2) सैद्धान्तिक ज्ञान परीक्षा सहित, जैसाकि ऊपर दिया गया है, के अलावा अभ्यर्थी को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात भारत और भारतीय सेवा देने वालों के लिए अवसरों पर विशेष ध्यान आकर्षित करने वाली निर्णय विधि से समर्थित, सुसगत विश्लेषण के साथ टैक्सटाइल्स या कृषि या स्वच्छता या फाइटो स्वच्छता आदि जैसे विशिष्ट डब्ल्यू टीओ करार पर एक शोध निबंध भी लिखना होगा।

(3) व्यावहारिक प्रशिक्षण विहित अवधि के लिए कार्य प्रशिक्षण है जोकि भारत में या भारत के बाहर दोनों स्थानों पर किसी ऐसे वाणिज्यिक या औद्योगिक संगठन में किया जा सकता है जो बुनियादी रूप में अंर्तराष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्र के बाहर निगमों से सम्बंद्ध हो। इस संबंध में संगठनों के लिए ब्यौरे और मानदंड समिति द्वारा विहित किए जाएंगे।

(4) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्रों का चयन करते समय अभ्यर्थी द्वारा धारित स्थिति, अपेक्षित किस्म का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उसके पास उपलब्ध अवसरों और संगठनों में अनुभव को अधिमान दिया जाएगा। प्रशिक्षण किसी ऐसे सरकारी संगठन, विभाग, निदेशालय या औद्योगिक उपक्रम जिसे उपक्रम की किस्म तथा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेट संस्थान या समय - समय पर समिति द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित किसी अनुसंधान परियोजना में अभ्यर्थी के अंतर्वलित होने को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, लिया जा सकता है।

(5) व्यावहारिक प्रशिक्षण भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्तिक फर्म और अन्य परामर्शी फर्म में और भारत के बाहर पब्लिक अकाउंटेंट्स की फर्मों में भी लिया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाली फर्मों को उपयुक्त माना जा सकता है:-

(i) संबंधित विशेष क्षेत्र में पर्याप्त समनुदेशन रखने वाली फर्म।

(ii) व्यावहारिक प्रशिक्षण के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी विशेषता के उस क्षेत्र में समनुदेशन पर कार्य कर रहा है।

(6) यदि कोई सदस्य भारत के बाहर स्थित पब्लिक अकाउंटेंट्स की फर्म में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो उस फर्म के भागीदार किसी मान्यता प्राप्त लेखांकन निकाय से संबंधित होने चाहिए ऐसा लेखांकन निकाय, व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ समिति द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

(7) व्यावहारिक प्रशिक्षण के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन विनिश्चित करने में समिति द्वारा विचारण किए गए बिन्दुओं में निम्नलिखित सम्मिलित है:-

(i) अनुभव की किस्म जो अभ्यर्थी को संगठन में प्राप्त होगा;

(ii) संगठन में वातावरण और अपेक्षित अनुभव प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाएं

(iii) सीखने और औपचारिक प्रक्रिया आगे जाने की और तरीकों एवं प्रक्रियाओं के पीछे मूलाधार जानने की अभ्यर्थी की इच्छा; और

(iv) अभ्यर्थी की उसके चारों ओर होने वाली घटना चक्र से अवगत रहने की प्रवृत्ति।

(8) 1 7 2002 को या उसके पश्चात अभ्यर्थी विहित अवधि के लिए ऐसे संगठनों / प्राधिकरणों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा जिसकी सिफारिश इस निमित्त समिति द्वारा की जाए और जो यहां बाद में उल्लिखित शर्तों को पूरा करेगा उसे समुचित फार्म में एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(9) अभ्यर्थी भाग 2 के लिए रजिस्ट्रेशन के तुरंत पश्चात अपना व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।

(10) समिति ऐसे संगठनों, सेवाओं के लिए मानदंड विहित कर सकती है जिन्हें ऊपर उल्लिखित व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए मान्यता दी जा सके।

(11) उप पैरा 1 में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के लिए अर्हित होने की इच्छा रखने वाला अभ्यर्थी उसे अर्हित करने के अपने आशय की सूचना देते हुए कम से कम छह मास पहले आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(12) प्रशिक्षण का अभिलेख

अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रशिक्षण का ब्यौरों के साथ पूर्ण अभिलेख उसके द्वारा विहित प्ररूप में रखा जायेगा जिसका सुझाव समिति देगी। विहित प्ररूप में रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

(13) इस व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थी कम से कम ऐसे तीन क्षेत्र चुनेगा जिनमें वह विस्तृत व्यवहारिक कार्य करेगा। क्षेत्रों की प्रस्तावित एक सूची नीचे दी गई है:-

(i) पाटन विरोधी
(ii) सहायकी विरोधी
(iii) रक्षोपाय
(iv) टैक्सटाइल्स और वस्त्र
(v) कृषि
(vi) उत्पत्ति के नियम
(vii) अंतर्राष्ट्रीय डेयरी करार
(viii) विवाद समाधान
(ix) सेवाओं में व्यापार
(x) ट्रिप्स
(xi) ट्रिम्स
(xii) एसपीएस

15. <u>शोध निबंध</u>

(i) समिति के निदेशानुसार विहित अवधि के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात, अभ्यर्थी समिति द्वारा अनुमोदित किसी विषय पर प्रशिक्षण पूरा करने की तारीख से तीन मास के भीतर एक शोध निबंध प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते यह कि समिति समुचित मामलों में शोध निबंध प्रस्तुत करने की अवधि का ऐसी अवधि तक बढ़ा सकेगी जो तीन मास से अधिक न हो।

(ii) अभ्यर्थी, अपने शोध निबंध के लिए ऊपर पैरा 14 के उप पैरा (13) में उल्लिखित व्यावहारिक प्रशिक्षण के अधीन सूचिबद्ध क्षेत्रों में से एक क्षेत्र का चयन करेगा,

(iii) अभ्यर्थी को शोध निबंध का सारांश प्रशिक्षण अवधि के दौरान समिति द्वारा अनुमोदित कराना होगा।

(iv) अभ्यर्थी अपने लिए गाइडों के एक पेनल का सुझाव देगा जिसमें शिक्षाविद् और व्यवसायी होंगे। समिति उस पेनल में से एक शिक्षाविद् और एक व्यवसायी का चयन करेगी जो अभ्यर्थी का मार्गदर्शन करेंगे।

(v) शोध निबंध ऐसी फीस के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जो समय समय पर परिषद् द्वारा नियत की जाए और जो कि प्रतिदेय नहीं होगी।

(vi) अभ्यर्थी शोध निबंध की अंग्रेजी में टाइप की हुई या मुद्रित तीन प्रतियां अपने प्रशिक्षण और अनुसंधान के परिणाम सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत करेगा।

(vii) अभ्यर्थी एक विवरण भी प्रस्तुत करेगा जिसमें यह उपदर्शित होगा कि किस स्रोत से उसने जानकारी प्राप्त की है और किसी सीमा तक उसने दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिए गए कार्य को आधार बनाया है और यह उपदर्शित करेगा कि वह उसके कार्य के किस भाग या भागों के मूल होने का दावा करता है।

(viii) यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त उप पैरा (i) में यथा विनिर्दिष्ट अवधि या उस विस्तरित अवधि के भीतर जो समिति उक्त उप पैरा (i) के परन्तुक (प्रोविजो) अधीन प्रदान कर सकती है, शोध निबंध प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द् हो जायेगा:

बशर्ते यह कि समिति, अभ्यर्थी से एक हजार रुपए फीस के साथ प्राप्त आवेदन पत्र पर रजिस्ट्रीकरण का अपने विवेकानुसार नवीकरण कर सकेगी। यह फीस वापस नहीं की जायेगी सिवाए तब जबकि आवेदन पत्र पर विचार न किया जाए तथा ऐसे नवीकरण पर अभ्यर्थी द्वारा पहले ही पूरी की गई प्रशिक्षण अवधि की गणना उपरोक्त पैरा में यथा निर्दिष्ट व्यावहारिक प्रशिक्षण में की जाएगी।

16. साक्षात्कार

अभ्यर्थी को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थिति होना होगा जो इस निमित्त समिति द्वारा नियुक्ति किया जाएगा।

17. प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जाना

ऐसे अभ्यर्थी को जिसने व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिसका शोध निबंध अनुमोदित कर दिया गया है और जो साक्षात्कार मे सफल रहा है, अनुमोदित फार्म में प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।"

(डॉ. अशोक हल्दिया)
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2002

शुद्धि-पत्र

सं. बी-33(13)7/2002-स्था.4--भारत के राजपत्र के भाग-3, खंड-4 में दिनांक 11.5.2002 को प्रकाशित अधिसूचना सं. बी-33(13)7/2000-स्था.4 दिनांक 23 अप्रैल, 2002 के क्रम संख्या 1 पर मंत्री के पदनाम (सिंचाई एवं श्रम) के स्थान पर मंत्री (श्रम) पढ़ा जाए।

सुमन स्वरूप
महानिदेशक

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
RURAL PLANNING AND CREDIT DEPARTMENT

Mumbai-400005 the 21st September 2002

No. RPCD LAB. No. 41/12.01.04(37)-2002/03.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 36A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, having been satisfied that Vinayak Area Local Bank Ltd., Sikar has made adequate provision for paying in full or to the maximum extent possible, all deposits accepted by it, hereby notifies that Vinayak Local Area Bank Ltd., Sikar has ceased to be a banking company within the meaning of the said Act.

P. B. MATHUR
Executive Director

DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT

Mumbai-400005, the 21st September 2002

No. IBS 612/23.13.063/2002-03.—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following :

"Dresdner Bank AG"

K. L. KHETARPAUL
Executive Director

No. IBS 613/23.13.063/2002-03.—In pursuance of sub-section (2) of Section 36(A) of the Banking Regulation Act, 1949 the Reserve Bank of India hereby notifies that Dresdner Bank AG has ceased to be a banking company within the meaning of the said Act.

K. L. KHETARPAUL
Executive Director

STATE BANK OF INDIA
ASSOCIATES & SUBSIDIARIES GROUP

Mumbai, the 16th September 2002

No SBD No SBD/10/2002.—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 41 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and with the approval of Reserve Bank of India, the State Bank of India has appointed the firms of Auditors noted against each of the following subsidiary banks as Auditors of that Subsidiary Bank :

Name of the Bank	Name of the Auditor
State Bank of Bikaner and Jaipur	M/S K G Somani & Co., 3/15 Asaf Ali Road, Delhi Automobile Building, 4th Floor, New Delhi 110 002. M/S B Khosla & Co., 104-107 Anukampa-II, 1st Floor, M I Road, Jaipur 302 001. M/S H S Rustagi & Co., 4654/21, Darya Ganj, New Delhi 110 002. M/S S L Chhajed & Co., R-12, Maharana Pratap Nagar, Zone I, Bhopal 462 011. M/S Dagliya & Co., No.5 & 6 L Block, Unity Buildings, J C Road, Bangalore 560 002. M/S Agarwal & Saxena, 510-511 City Centre, 63/2, The Mall, Kanpur 208 004.

State Bank of Hyderabad	**M/S Todi Tulsyan & Co.,** **602 Luv Kush Towers,** **Exhibition Road,** **Patna 800 001.**
	M/S L U Krishnan & Co., **Sands Nathenoal Tower,** **No.3-1, West Club Road,** **Shenoy Nagar,** **Chennai 600 010.**
	M/S Rao & Narayan, **Srinivasa Apartment,** **Somajiguda,** **Flat No.6,** **Raj Bhavan Road,** **Hyderabad 500 482.**
	M/S B L Ajmera & Co., **Maiji Chhogalal Trust Building,** **Mirza Ismail Road,** **Jaipur.**
	M/S Hingorani M & Co., **35 Netaji Subash Marg,** **Daryaganj,** **New Delhi 110 002.**
	M/S Mittal Gupta & Co., **302, Chintels House,** **16, Station Road,** **Lucknow 226 001.**

State Bank of Indore

M/S K K Ghai & Co.,
806 Hemkunt House,
6, Rajendra Place,
New Delhi 110 008.

M/S V K Jindal & Co.,
3 G Shree Gopal Complex,
III rd Floor,
Court Road,
Ranchi 834 001.

M/S Bhushan Bansal Jain Associates
4648 – Sodhumal Bldg.,
21 Ansari Road,
Darya Ganj,
New Delhi 110 002.

M/S P C Modi & Co.,
R 20 Shreedham,
Yudhister Marg,
C Scheme,
Jaipur 302 005,
Rajasthan.

M/S Uberoi Sood & Kapoor
606, Vishal Bhawan,
95 Nehru Place,
New Delhi 110 019.

State Bank of Mysore	M/S Ashwani & Associates, 19-A, Udham Singh Nagar, Civil Lines, Ludhiana 141 001.
	M/S A S Gupta & Co., 10 Old Post Office Street, Room No.24 & 25, Kolkata 700 001.
	M/S Agiwal & Associates, Lal Kothi, 3830 – Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi 110 002.
	M/S Easwaryar, 1/8, Venus Colony, Second Street, Alwarpet, Chennai 600 018.
	M/S Anjaneyulu & Co., 30 Bhagiryalaxmi Nagar, Behind Kalpana Talkies, Gandhi Nagar, Hyderabad 500 380.

State Bank of Patiala

M/S Mahendra K Agarwala & Co.,
Block B – Monalika Apartment,
Ground Floor,
Old Station Square,
Bhubaneswar 751 006.

M/S Ganesan & Co.,
Nataraja Nilayam,
227 Kutchery Road,
Mylapore,
Chennai 600 004.

M/S G S Goel & Co.,
20/18 Shakti Nagar,
New Delhi 110 007.

M/S R M Lall & Co.,
7 – Balmiki Marg,
Lal Bagh,
Lucknow 226 001.

M/S G D Apte & Co.,
1204/17 E Shivaji Nagar,
Babusahcb,
Dream Presidency,
Off Apte Road,
Pune 411 004.

M/S S Prashad & Co,
1-2 Barar House,
Bara Tooti,
Sadar Bazar,
New Delhi 110 006.

State Bank of Saurashtra

M/S M K Aggarwal & Co.,
4598/12B, Ansari Road,
Darya Ganj,
New Delhi 110 002.

M/S Kumar Chopra & Associates,
B-12, Ground Floor,
Kalindi Colony,
Near Maharani Bagh,
New Delhi 110 065.

M/S Karnavat & Co.,
2A Kitab Mahal,
1st Floor,
192 Dr D N Road,
Mumbai 400 001.

M/S B K Shroff & Co.,
23 A Netaji Subhash Road,
3rd Floor, Room No. 15,
Kolkata 700 001.

M/S S C J Associates,
1/129 F Professors Colony,
Hariparvat,
Agra 282 002,
Uttar Pradesh.

State Bank of Travancore

M/S G K Rao & Co.,
5-3-340, Rashtrapathi Road,
Hyderabad 500 003.

M/S P G Joshi & Co.,
Dhanwate Chambers.
Malviya Road,
Sitabuldi,
Nagpur 440 012.

M/S Ananthan & Sundaram,
Sivakarth,
123 Shankar Nagar,
Kai Manam Post,
Neeramankara,
Thiruvananthapuram 695 040
Kerala.

M/S Ayyar & Cherian,
3rd Floor, Krishnakripa,
Jews Street
Pulleppady Jn.,
Ernakulam,
Cochin 682 035,
Kerala.

M/S Add & Associates
Mercantile Bldg,
3rd Floor, Block A,
9 Lal Bazar Street,
Kolkata 700 001,
West Bengal.

M/S Varma & Varma,
Sriniketan,
Nettepadam Road,
P B No.2350,
Cochin 682 016,
Kerala.

2. The auditors have been appointed for the accounting period ending 31st March 2003, but the firms are eligible to be retained for a continuous term of four years, (including the period already served by them) subject to their complying with the prescribed norms and other usual requirements.

Dy.Managing Director &
Group Executive (A&S)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, Dated 24th September, 2002

(Chartered Accountants)

No. 1-CA(7)/64/2002: The following draft of regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, which the Council of the Institute of Chartered Accountants of India proposes to make, is hereby published, as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of period of forty-five days from the date on which the copies of the official Gazette in which the draft regulations is published are made available to the public;

Any person desiring to make any objection or suggestion in respect of the said draft regulations, may forward the same for consideration by the Council within the period so specified above to the Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft regulations after the expiry of the period so specified shall not be taken into consideration by the Council.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988, -

(i) in regulation 204, for the words and letters "Schedules `C', `D', `E' and `F' ", the words and letters "Schedules `C', `D', `E', `F', `G' and `H' " shall be substituted;

"SCHEDULE G
(POST QUALIFICATION COURSE IN INSURANCE AND RISK MANAGEMENT)

1. Course for Diploma in Insurance and Risk Management (DIRM). –

(1) The Insurance and Risk Management course shall include Training Schemes, Technical Examination and an Orientation Course of seven days or such time as the Committee on Insurance may decide from time to time.

(2) A candidate who has successfully completed the said course shall be awarded a certificate in the approved form and be entitled to use the letters DIRM (ICAI) after his name.

2. Administration. -

Subject to regulation 176, the management of the Insurance and Risk Management Course shall be under the charge of the Committee on Insurance constituted by the Council for the purpose (hereinafter referred to as the "Committee"), whose functions shall include enrolment to, all activities connected with the conduct of the course, training schemes, orientation course, change/ modification/revision/amendment of modules and syllabus thereof, and other allied matters.

3. Admission to the Insurance and Risk Management. –

(1) No candidate shall be admitted to the course unless he is a member of the Institute at the time of registration.

(2) A candidate for admission to the Insurance and Risk Management Course shall apply in the approved form and pay such fees, as may be fixed by the Council, from time to time.

4. Admission to the Technical Examination. -

(1) No candidate shall be admitted to the Technical Examination unless he has been registered for a period of nine months or such time as the Committee may decide from time to time and produces a certificate, from the officer designated by the Committee for the purpose, to the effect that he has complied with the requirements of the training schemes as may be specified by the Committee in this behalf.

(2) An application for admission to the Technical Examination shall be made in the approved form to the Secretary, in the manner specified therein, together with such fees as may be decided by the Council.

5. Papers and Syllabus for Technical Examination. -

(1) A candidate for the DIRM course shall be examined in 4 papers of 3 hours each covering 4 modules with course content as given below :

I. Module I: Principles and Practice of Insurance 100 Marks

(a) Introduction to Risk and Insurance, Basic principles of General and Life Insurance, Insurance contracts, Management of Insurance organizations

(b) Types of Insurance :
  (i) General – personal lines and commercial lines
  (ii) Life – Individual, group, annuity, pensions and gratuity

(c) Regulations on investments , insurance funds with respect to shareholders funds and policy holders funds

(d) Laws Governing Insurance Accounting and Management

(e) Assets and liability management, determination of solvency margin, principles of insurance finance (fixing portfolio wise retention levels, adequacy on IBNR, IBNER, Reserve strain), Costing and pricing of insurance products

(f) Analytical case studies in emerging scenario

II. Module II: Technical Aspects of Insurance 100 Marks

(a) Specific areas on general insurance products, underwriting concepts, standard conditions and warranties with respect to –

  (i) Fire – Perils, clauses, special types, discounts, consequential loss

  (ii) Marine – Types of Hull, clauses to hull policy, types of cargo policy, types of sale contracts and consideration

  (iii) Motor – Scope of cover, types of vehicles, own damage and third party claims

(iv) Engineering – Types of cover with terms and conditions

(v) Miscellaneous - Individual and group, personal and commercial lines, Business Protection Policies and Personal Liability Insurance - Directors and Professionals

(b) Life Insurance products, premium plans, social security schemes, pension policies group insurance schemes and financial gerontology of superannuating policies

(c) Principles of Actuarial valuation – demography, gauging the risk profile of the company, interest and life contingencies, life office valuations and methods of distribution of surplus

(d) Analytical case studies in emerging scenario

III. **Module III: Risk Management and Reinsurance 100 Marks**

(a) Economics of Insurance

(b) Evolution cycle and managerial aspects of risk management – Identification, evaluation, retention and transfer, risk financing

(c) Role of loss prevention / *minimisation* techniques, Alternative risk transfer measures.

(d) Reinsurance – legal principles, methods of reinsurance (traditional and non traditional), treaty wordings designing reinsurance programs, reinsurance markets and financial aspects

(e) Analytical case studies in emerging scenario

IV. **Module IV : Business Strategic Planning and Information Technology 100 Marks**

(a) Management of Insurance companies, challenges of globalization and business process reengineering

(b) Methodology of outsourcing

(c) Exchange control regulations and taxation

(d) Application of IT in Insurance business, system controls, data warehousing, application of ERP for insurance companies, Customer relation management and supply chain management

(e) Design of Information Systems

(f) Business Strategies in product formulation, information marketing & advisory, distribution, reinsurance and servicing.

(g) Analytical Case studies in the emerging scenario

(2) The marks given against each module specifies the marks of the papers that would be asked for the respective modules.

6. Requirements for Passing Technical Examination. –

A Candidate for Technical Examination shall ordinarily be declared to have passed the examination if he secures a minimum of 40 percent. marks in each of the papers and 50 percent. marks in aggregate.

7. Conduct of Technical Examination. -

The Technical Examination may be conducted at such intervals, in such manner and at such time and places, as the Examination Committee of the Institute of Chartered Accountants of India may decide from time to time and the details thereof shall be published in the Gazette of India.

8. Refund of Technical Examination fees. –

(1) The fee paid by a candidate who has been admitted to a Technical Examination shall not except as otherwise provided in sub-paragraph (2) be refunded.

(2) Where a candidate applies to the Examination Committee for the transfer of fee to the next Technical Examination on the ground that he was prevented from attending the Technical Examination on account of circumstances beyond his control, the Examination Committee may permit the fee paid by such candidate to be adjusted towards the fee payable only for the next following Technical Examination :

Provided that no such application received after the expiry of fifteen days of the date of the Technical Examination shall be considered.

9. Declaration of Results. –

(1) The result of the Technical Examination shall be declared and a copy of such result giving the list of successful candidates shall be displayed on the Notice Board of the Institute.

(2) A candidate passing the Technical Examination and undergoing such orientation course as may be prescribed by the Committee shall be granted a certificate in the approved form.

(3) All the candidates shall be communicated of the marks obtained in the Technical Examination.

(4) (a) Information as to whether a candidate's answers in the paper or papers of the Technical Examination have been examined and marks awarded shall be supplied to the candidate, on his submitting within a month of the declaration of the result of the Technical Examination an application accompanied by such fee as may be fixed by the Council.

(b) The fee shall be only for verifying whether the candidate's answers have been examined and marks awarded, and not for the re-valuation of the answers.

(c) The marks obtained by a candidate in individual questions, or in sections of a module shall not be supplied.

(d) If as a result of such verification, it is discovered that there has been either an omission to examine or award any marks to any answer or answers or there has been a mistake in the totaling of the marks, the fee for verification shall be refunded in full to the candidate and the result of such verification shall be communicated or supplied to such candidate.

10. Action against Candidates resorting to unfair means. –

If it is reported to the Examination Committee that a candidate has resorted to or has attempted to resort to unfair means for the purpose of passing the Technical Examination, the Examination Committee shall hold an enquiry and submit a report to the Council which may, after any further investigation as it may consider necessary, take such disciplinary action against the candidate as it thinks fit:

Provided that an opportunity shall be given to the candidate of being heard, before an order adverse, to him is passed.

11. Examiners. –

The Examination Committee may make such arrangements as may be considered appropriate including appointment of examiners to set the question papers and value answer books.

12. Amendments of Results. -

In any case where it is found that the result of a Technical Examination has been affected by error, malpractice, fraud, improper conduct or other matter of whatever nature, the Council shall have the power to amend such result in such manner as shall be in accordance with the true position and make such declaration as the Council shall consider necessary in that behalf.

13. Advisory Board. –

(1) The Committee may appoint an advisory board consisting of not more than 11 persons to advise the Committee on the syllabus, technical examinations, training schemes, orientation course, research and any other matter relating to the Course as may be referred to it.

(2) The members of the advisory board shall be eligible for travelling allowance and daily allowances according to the rates that may be approved by the Council from time to time.

SCHEDULE H
(POST QUALIFICATION COURSE IN INTERNATIONAL TRADE LAWS AND WORLD TRADE ORGANISATION)

1. Course for Diploma in International Trade Laws and World Trade Organisation. –

1. Objective. -

The objective of this course is to provide the candidates with a thorough knowledge of the following areas and to equip members with the specialised skills necessary for developing a dedicated practice in the area of services related to International Trade Laws and WTO

- Domestic Trade Laws
- Anti-dumping
  Anti-subsidy
- Competition Laws
- TRIPS and TRIMS
- GATT Agreements
- GATS Agreement

1. This Trade Laws and WTO Course shall include:-

- **Part I** - Theoretical knowledge with examination
- **Part II** - Practical Training and submission of a dissertation

A member eligible for the course has to complete Part I first before registering for Part II of the Course.

A certificate in the approved form shall be granted to those who qualify in the Course and they shall be entitled to use the letters "DITL (ICAI)" after their names.

Part I - Theoretical knowledge with examination

2. Administration and admission to the examination. -

Notwithstanding anything contained in Regulation 176 of these Regulations, the International Trade Laws and WTO Course shall be under the charge of the Committee on Trade Laws and WTO appointed by the Council for the purpose (referred in this Schedule as the "Committee"). The Committee's functions, in this regard, shall, *inter alia*, include holding of examination, admission thereto, appointment and selection of examiners, prescription of books for the guidance of candidates, declaration of results and other allied matters.

No candidate shall be admitted to the Part I Examination of the Trade Laws and WTO Course unless he is a member at the time of appearing at the examination.

3. Registration And Tuition fee. -

Registration and tuition fee for the Part I of the course shall be Rs. 20,000/- including the cost of study material. The Committee shall provide an appropriate list of study materials as well as prepared study material to the candidates.

4. Conduct of examinations. -

(1) The examination may be conducted at such interval, in such manner and at such time and places, as the Council may direct.

(2) The dates and places of the examination and other particulars shall be notified in the official Gazette.

(3) A candidate for admission to the examination shall pay such fee, not exceeding Rupees One Thousand for each group or any other sum as may be fixed by the Council from time to time. Candidates can appear either for Group A or Group B or for both Groups at their discretion.

(4) A candidate for the Trade Laws and WTO Part I examination shall ordinarily be declared to have passed the examination if he/she passes in both the groups simultaneously or in one group at one examination and in the remaining group at any subsequent examination, securing at one sitting a minimum of 40 per cent marks in each paper of the Group and a minimum of 50 per cent marks of the total marks of all the papers in that Group.

5. Application for admission to examination. -

An application for admission to the examination shall be made in the approved form, a copy of which may be obtained from the Secretary of the Committee and together with the prescribed fee, shall be sent so as to reach the Council in accordance with the directions given by it.

6. Refund of Examination Fee. -

(1) The fee paid by a candidate who has been admitted to an examination shall not, except as otherwise provided in sub-paragraph (2) be refunded.

(2) Where a candidate applies to the Council for the transfer of fee to the next examination on the ground that he was prevented from attending the examination on account of circumstances beyond his control, the Council may permit the fee paid by such candidate to be adjusted toward the fee payable only for the next following examination:

Provided that no such application received after the expiry of fifteen days of the last date of the examination shall be considered.

7. Action against candidates resorting to unfair means.

If it is reported to the Committee that a candidate has resorted to or has attempted to resort to unfair means for the purpose of passing the examination, the Committee shall hold an enquiry and submit a report to the Council which may, after any further investigation as it may consider necessary, take such disciplinary action against the candidate as it thinks fit:

Provided that an opportunity shall be given to the candidate of being heard before an order adverse to him is passed.

8. Examiners. -

The Committee may make such arrangements and may appoint such examiners to set question papers and value answer books, as it may deem fit.

9. Amendment of Result. -

In any case where it is found that the result of an examination has been affected by error, malpractice, fraud, improper conduct or other matter of whatever nature, the Committee hereinbefore mentioned shall have the power to amend such result in such manner as shall be in accordance with the true position and to make such declaration as the Committee shall consider necessary in that behalf.

10. Part I of the course will be supported by Personal contact programmes (PCPs). PCPs are to be held at such centres in the country, at such times and places as may be specified. These PCPs will be for a minimum duration of 30 days for which a separate fee shall be charged as may be specified.

The personal contact programme will cover the subject matter of all the papers contained in Part I of the Course. The record of attendance in the personal contact programme (with a minimum attendance record of 80%) must be produced at the time of applying for admission to the examination.

11. Grant of Certificate. -

A candidate who has completed the Part I Examination of the course shall be awarded for a Certificate in the appropriate form.

12. Details of Papers and Course Contents. -

The candidate shall have to appear for the following papers for Part I

Group A

Paper I:	Introduction to International Trade
Paper II:	GATT, Rules of Origin and Trade Related Agreements
Paper III.	GATS, TRIPS and TRIMS, SPS and Dispute settlement and review procedures in WTO

Group B

Paper IV:	Domestic Trade Laws
Paper V:	Anti-dumping, anti-subsidy and Safeguards – Laws and Practice
Paper VI:	Competition Laws and Policies

Detailed Course Contents:

Group A

Paper I **Introduction to International Trade** **(100 marks)**

Syllabus

1. Fundamentals of International Trade
2. GATT, 1947
3. GATT 1994 (Marrakesh Agreement)
4. Agreement establishing the World Trade Organisation
5. Structure and working of the WTO
6. Most Favoured Nations Treatment
7. Special and differential treatment
8. Tariffs and non-tariff barriers

Paper II **GATT, Rules of Origin and Trade Related Agreements** **(100 marks)**

Syllabus

1. Agreement on Rules of origin
2. Agreement on Pre-shipment inspection
3. Agreement on Import Licensing Procedures
4. Agreement on Textiles and Clothing
5. Agreement on Agriculture
6. Agreement on Implementation of Article VII of GATT, 1994
7. Decisions regarding cases where customs administrations have reasons to doubt the truth or accuracy of the declared value.
8. Agreement on Technical Barriers to trade
9. Relevant Understandings
10. Regional Trading Agreements
11. New Issues and Non-trade Issues in Multilateral trading system

Paper III **GATS, TRIPS, TRIMS, SPS and Dispute settlement and Review Procedures in WTO** **(100 marks)**

Syllabus

1. General Agreement on trade in services

   (i) Decision on financial services
   (ii) Decision on negotiations on movement of natural persons
   (iii) Decisions on Professional Services

2. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
3. Agreement on the Application of Sanitary and Phyto-sanitary measures
4. Dispute settlement mechanism under WTO, International commercial arbitration
5. Review procedures of WTO – Agreements, ministerial meetings, evolution process and emerging scenario

Group B

Paper IV **Domestic Trade Laws** **(100 marks)**

Syllabus

1. Consumer Protection Act, 1986
2. Copyright Act, 1957
3. Economic Offences Act, 1974

4. Environment Protection Act, 1986
5. Essential Commodities Act, 1955
6. Essential Commodities(special provisions) Act, 1981
7. Patents Act, 2000
8. Sales Promotions Act, 1976
9. Trade and Merchandise Marks Act, 1958
10. Export import policy and procedure

Paper V **Anti-dumping, Anti-subsidy and Safeguard - Laws and Practice** **(100 marks)**

Syllabus

1. Agreement on anti-dumping, subsidies and countervailing measures
2. The application of anti-dumping measures
3. Anti-dumping – Law and Practice

   (i) Main provisions
   (ii) Dumping determination
   (iii) Price comparisons
   (iv) Constructed price
   (v) Domestic industry injury
   (vi) Volume of import
   (vii) Procedures for investigation
   (viii) Duration of measures
   (ix) Circumvention action

4. Anti-subsidy – Law and Practice

   (I) Structure of SCM
   (ii) Definition of subsidies
   (iii) Red, Amber and Green Subsidies
   (iv) Serious prejudice
   (v) Extinguishing the effect of subsidy – the Countervailing duty

5. Safeguards

   (i) Safeguard measures
   (ii) Compensation and retaliation

6. Case Laws on Anti-Dumping, Anti-subsidy and countervailing measures including reports of the Designated Authority of Government of India, European Commission and of the WTO dispute settlement machinery

Paper VI **Competition Laws and Policies** **(100 marks)**

Syllabus

1. Emerging Competition Laws in India
2. Competition Law and policies in the European Union
3. Competition Law and policies in the United States, NAFTA Countries
4. Competition Law and policies in the transition economies
5. WTO Rules & Competition Policy

13. **Updation/Revision of the Syllabus.** -

The Committee on Trade Laws and WTO is authorised to update/ revise the syllabus, from time to time, which will be intimated to the candidates, enrolled in the course.

Part II - Practical Training and submission of a dissertation

14. Practical Training. -

(1) A candidate can register himself for Part II (Practical Training) after qualifying in the Part I examination of the Course by submitting an application in the approved form with such fee as may be fixed by the Council from time to time, which shall not be refunded.

(2) In addition to theoretical knowledge with examination as detailed above, the candidate will also have to write a dissertation, after undergoing practical training, on a specific WTO agreement such as Textiles or Agriculture or Sanitary and Phyto-Sanitary measures etc., with relevant analysis, with supporting case laws highlighting the opportunities for India and Indian Service Providers.

(3) Practical training is on the job training for the prescribed period which can be undergone with commercial or industrial organisations, both within and outside India, which are primarily involved in international trade as well as transnational corporations. The details of the criteria for the organisations in this regard will be prescribed by the Committee.

(4) In deciding applications for registration, weightage will be given to the position held by the candidate and the opportunities available to him for receiving the requisite type of training and experience in the organisation. The training may also be undergone in any Government organisation, department, directorate or industrial undertaking as may be specified by the Committee, depending upon the type of the undertaking as well as involvement of the candidate in any research project conducted by the Institute of Chartered Accountants of India or by other Institutions as may be approved by the Committee from time to time.

(5) Practical training may also be undergone in professional firms of Chartered Accountants and other consultancy firms in India and in firms of Public Accountants outside India. For this purpose, firms satisfying the following requirement may be considered suitable:

(i) The firm is having adequate assignment in the concerned area of specialisation.

(ii) The candidate applying for registration of practical training is working on the assignments in that area of specialisation.

(6) If a member desires to undergo practical training with a firm of Public Accountants situated outside India, the partners of such firm should belong to a recognised accounting body. Such an accounting body will have to be approved by the Committee on Trade Laws and WTO.

(7) Considerations taken into account by the Committee in deciding application for registration of practical training include:

(i) The type of experience that the candidate would be getting in the organisation;

(ii) The environment in the organisation and the facilities available for getting requisite experience;

(iii) The candidate's desire to learn and urge to go beyond the formalised procedure and seek out the rationale behind methods and procedures; and

(iv) The candidate's inclination to keep himself abreast of the developments taking place around him.

(8) On or after 1.7.2002, a candidate shall undergo practical training for a prescribed period in the organisations / authorities that may be recommended by the Committee in this behalf and who satisfies the conditions hereinafter mentioned, shall be granted a certificate in appropriate form.

(9) A candidate may begin his practical training immediately after registration for this Part II.

(10) The Committee may prescribe the criteria for organisations, service in which may be recognised towards practical training referred to hereinbefore.

(11) A candidate desiring to qualify himself for the grant of a certificate referred to in sub-paragraph (1) shall make an application, at least six months in advance giving notice of his intention to qualify for the same.

(12) Record of training. -

A complete record showing the details of training undergone by the candidate shall be maintained by him in the prescribed formats to be suggested by the Committee. Report in the prescribed format shall be submitted to the Committee on a quarterly basis.

(13) During this practical training the candidate shall choose a minimum of three areas in which he shall do detailed practical work. A suggested list of areas is given below:

(i) Anti-dumping
(ii) Anti subsidies
(iii) Safeguards
(iv) Textiles & Clothing
(v) Agriculture
(vi) Rules of origin
(vii) International Dairy Agreement
(viii) Disputes Settlement
(ix) Trade-in-services
(x) TRIPS
(xi) TRIMs
(xii) SPS

15. Dissertation. -

(i) A candidate, after undergoing the practical training for a prescribed period, as may be directed by the Committee, shall submit a dissertation on a subject to be approved by the Committee, within a period of three months from the date of completion of training:

Provided that the Committee in appropriate cases may extend the time for submission of the dissertation for a period not exceeding three months.

(ii) Candidate shall choose any one of the areas as listed under practical training for his dissertation as mentioned in sub-para (13) of para 14 above.

(iii) The Candidate has to get the synopsis of the dissertation approved by the Committee during the period of training.

(iv) The candidate shall suggest a panel of guides for himself consisting of academicians and practitioners. The Committee shall choose from that panel one academician and a practitioner to act as guides for the candidates.

(v) The dissertation shall be submitted with such fee as may be fixed by the Council from time to time, which shall not be refundable.

(vi) The candidate shall submit in English three typewritten or printed copies of the dissertation embodying the results of his training and research.

(vii) The candidate shall further submit a statement indicating the sources from which his information has been derived and the extent to which he has based his work on the work of others and shall indicate which portion or portions of his work he claims as original.

(viii) The Committee shall forward the dissertation to the referees appointed by it for their advice whether the dissertation is of a sufficiently high degree of merit as to deserve approval or whether it may be modified and if so, in what manner, or whether it may be rejected.

(ix) If a candidate fails to submit the dissertation within the period as specified in sub-paragraph(i) above or such extended period as the Committee may grant under the proviso to the said sub-paragraph (i), his registration for practical training shall stand cancelled:

Provided that the Committee may renew the registration at its discretion, on receipt of an application from the candidate together with a fee of one thousand rupees, which shall not be refunded except where the application is not entertained and on such renewal the period of training already undergone by the candidate shall be counted towards practical training as referred to in paragraph (1) above.

16. Interview. -

The candidate shall be required to appear before an interview board that may be appointed by the Committee in this behalf.

17. Grant of Certificate. -

A candidate who has completed the practical training, whose dissertation has been approved and who has been successful at the interview, shall be awarded a Certificate in the approved form."

(Dr. Ashok Haldia)
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 18th September, 2002

CORRIGENDUM

No. V-33(13)7/2002-E.IV.—In the Notification No. V-33(13)7/2000-E.IV. dated 23rd April, 2002 published in the Part-III, Section-4, of the Gazette of India dated 11.5.2002, the designation of Minister (Irrigation & Labour) at Sl. No. 1 of the Notification may be read as Minister (Labour).

SUMAN SWARUP
Director General

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2002
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2002

2530